



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1087 / मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / 2012-43-मा०सं०(04) / 2008(टी०सी०-2)

दिनांक 23 अगस्त, 2012

समस्त पेंशन वितरण अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

### परिपत्र

विषय:- सभी पेंशनरों को प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराया जाना।

महोदय,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा जारी परिपत्र सं० 2561-पें० एवं आर०-28/पाकालि/11-60-पी/98 टी०सी० विविध दिनांक 03.09.2011 की अनुरूपता में निर्णय लिया गया है कि निगमाधीन में प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाये।

इस सम्बन्ध में समस्त पेंशन वितरण इकाइयों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अन्तर्गत सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का बैंक खाता खुलवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये ताकि प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को बैंक के माध्यम से मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को किया जा सके।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1087 (1) मा०सं० (04) / उ०नि०लि० / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/कारपोरेट स्ट्रेटिजी/मा०सं०(02/03)/मा०सं०/चिकित्सा/वित्त/ वित्त एवं लेखा/पी०पी०एम०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट [www.uprvunl.org](http://www.uprvunl.org) पर अपलोड करने हेतु।
6. उपमहाप्रबन्धक/अधी०अभि०(मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(प्रशिक्षण/औ०सं०/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
7. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

आज्ञा से,

  
(सुनील कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-04)